

27.02.2026 को सुरक्षित

05.06.2026 को घोषित



2026:AHC-LKO:39805-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक अपील संख्या - 3041 वर्ष 2009

मुकेश तिवारी

.... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.... उत्तरदाता (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता : ए० के० अवस्थी, आशीष कुमार सिंह, प्रगति सिंह,
सपना वर्मा, सोनिया मिश्रा
उत्तरदाता (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुश्री प्रगति सिंह, अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने न्यायमित्र के तौर पर तर्क प्रस्तुत किया और श्री एस० पी० सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

2. प्रस्तुत दांडिक अपील धारा 374(2) दं०प्र०सं० के अंतर्गत दाखिल की गई है जिसके माध्यम से अपीलकर्ता मुकेश तिवारी ने विशेष न्यायाधीश, एस०सी० /एस० टी० अधिनियम, उन्नाव द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2004 धारा 307/302 भादं० एवं 3(2)(5) एस० सी० /एस० टी० अधिनियम, थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 634 वर्ष 2004 में पारित आदेश को आक्षेपित किया है, जिसमें उसे धारा 307/34 भादं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ व्यतिक्रम की शर्त सहित दंडित किया गया। उसे धारा 302/34 भादं० के साथ-साथ एस० सी० /एस० टी० अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत भी दोषसिद्ध किया गया तथा 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ व्यतिक्रम की शर्त सहित आजीवन कठोर कारावास से दंडित किया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
3. सुश्री प्रगति सिंह, विद्वान अधिवक्ता को अपीलकर्ता- मुकेश तिवारी की ओर से न्यायमित्र के रूप में उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति द्वारा नियुक्त किया गया, क्योंकि अपीलकर्ता वर्तमान अपील की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ था।
4. प्रारंभ में ही, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलकर्ता जुलाई, 2004 के महीने में अपनी गिरफ्तारी की तारीख से ही जेल में निरुद्ध है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता पहले ही 21 वर्ष से अधिक का कारावास भुगत चुका है और यदि परिहार की अवधि को भी ध्यान में रखा जाए, तो उसके द्वारा भुगता गया कुल दंड लगभग 26 वर्ष होगा जैसा कि विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 27.2.2026 के आदेश के अनुपालन में अभिलेख पर दाखिल अभिरक्षा प्रमाणपत्र से स्पष्ट है।

अभियोजन वाद

5. अभियोजन वाद, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रकट होता है, यह है कि 05.07.2004 को लगभग 8:00 बजे अपराह्न, सूचनादाता राम बाबू की पुत्रवधू और पुत्री शौच के लिए जाने के पश्चात अपने घर लौट रही थीं। जब वे थाना गंगा घाट के क्षेत्राधिकार में स्थित एक झाड़ी के पास पहुँचीं, अभियुक्तगण, नामतः मुकेश तिवारी पुत्र राम सनेही तिवारी, चंदर पासी पुत्र छेदी पासी, पप्पू लोध पुत्र चंदका लोध और सोनू पुत्र कल्लू लोध, सभी निवासीगण आजाद नगर, कथित रूप से देशी निर्मित अग्निशस्त्रों से लैस होकर उनका रास्ता रोक लिया।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आगे यह आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तगण ने जाति संबंधी टिप्पणियां करते हुए सूचनादाता की पुत्री को “नटनिया कहाँ जा रही है” कहते हुए छेड़ना प्रारंभ कर दिया। सूचनादाता की पुत्री और पुत्रवधू द्वारा लगाई गई चीख-पुकार सुनकर, सूचनादाता के पुत्रगण, नामतः सरवन और नीरज, अपनी पत्नी श्रीमती श्याम कली के साथ, हाथों में टॉर्च लेकर तत्काल घटनास्थल पर दौड़कर पहुँचे।
7. अभियोजन के अनुसार, जैसे ही उपरोक्त परिवार के सदस्य घटनास्थल पर पहुँचे, सभी अभियुक्तगण ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सरवन, नीरज और श्रीमती श्याम कली को अग्निशस्त्र से चोटें आईं। इसके पश्चात, अभियुक्तगण कथित रूप से सूचनादाता और उसके परिवार के सदस्यों को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए घटनास्थल से भाग गए।
8. उपरोक्त आरोपों के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभतः भारतीय दंड संहिता की धारा 307 सपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत दर्ज की गई। हालाँकि, उपचार के दौरान,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

श्रीमती श्याम कली ने घटना के लगभग एक सप्ताह पश्चात् लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, जिसके पश्चात् मामले में धारा 302 भादं० भी जोड़ी गई।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पश्चात्, पुलिस द्वारा विवेचना की गई, धारा 161 दं०प्र०सं० के अंतर्गत बयान दर्ज किए गए और विभिन्न सामग्रियां एकत्र की गईं। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात्, पुलिस ने पर्याप्त दोषारोपणकारी सामग्री पाई और इस प्रकार दो अभियुक्तों, नामतः अपीलकर्ता /अभियुक्त (मुकेश तिवारी) और सोनू लोध के विरुद्ध धारा 307/302 भादं० और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया।

10. हालाँकि, अन्य अभियुक्त सोनू लोध के किशोर होने के कारण उसे किशोर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु भेजा गया और इस प्रकार वर्तमान विचारण अभियुक्त/अपीलकर्ता -मुकेश तिवारी के विरुद्ध एकमात्र अभियुक्त के रूप में संचालित किया गया, जब उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की।

विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही

11. विचारण के दौरान, अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने निम्नलिखित साक्षियों का परीक्षण किया:-

अभियोजन साक्षी -1	रामबाबू	शिकायतकर्ता (मृतका का पति)
अभियोजन साक्षी- 2	सरवन	मृतका श्यामकली का पुत्र
अभियोजन साक्षी- 3	सुशीला	शिकायतकर्ता की पुत्री
अभियोजन साक्षी- 4	डॉ० पवन कुमार	चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक
अभियोजन साक्षी- 5	नीरज	मृतका श्यामकली का पुत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अभियोजन साक्षी- 6	वाई०एन० शर्मा	विवेचना अधिकारी
अभियोजन साक्षी- 7	सी/192 हरिश्चन्द्र मिश्रा	एफ० आई० आर० लिखने वाले सर्किल अधिकारी
अभियोजन साक्षी- 8	डॉ० अरुण कुमार मिश्रा	मृतका श्यामकली का शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक
अभियोजन साक्षी- 9	सी/श्याम सुशील	सी०ओ० भ्रष्टाचार निरोधक, कानपुर
अभियोजन साक्षी- 10	रतन सिंह	उप-निरीक्षक
प्रतिरक्षा साक्षी-1	उषा देवी	स्वतंत्र तथ्य साक्षी और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

12. उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, अभियोजन ने अपने मामले को पुष्ट करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य पर भी भरोसा किया :-

(i)	लिखित रिपोर्ट	प्रदर्श-क-1
(ii)	श्यामकली की उपहति आख्या	प्रदर्श- क-2
(iii)	सरवन की उपहति आख्या	प्रदर्श- क-3
(iv)	नीरज की उपहति आख्या	प्रदर्श- क-4
(v)	फर्द बरामदगी	प्रदर्श- क-5
(vi)	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श- क-6
(vii)	शव-परीक्षण आख्या	प्रदर्श- क-8
(viii)	नक्शा नज़री	प्रदर्श- क-9
(ix)	आरोप-पत्र	प्रदर्श- क-10
(x)	पंचनामा रिपोर्ट	प्रदर्श- क-11

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

13. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने दस साक्षियों का परीक्षण किया, जबकि बचाव पक्ष ने खंडन में एक साक्षी का परीक्षण किया। **अभियोजन साक्षी- 1, रामबाबू**, सूचनादाता, लगभग 45 वर्ष की आयु के और थारू समुदाय से संबंधित, का विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, उन्नाव के समक्ष दिनांक 05.08.2006 को परीक्षण किया गया। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने बयान दिया कि उससे लगभग दो वर्ष पूर्व, लगभग 8:00 बजे रात्रि, उसकी पुत्री सुशीला और पुत्रवधू शौच करने के पश्चात लौट रही थीं, तभी एक झाड़ीदार खेत के पास, अभियुक्त सोनू, मुकेश, पप्पू और चंदन ने कथित रूप से उनका रास्ता रोक लिया, जिन्होंने घातक हथियारों से लैस होकर उनके प्रति जाति संबंधी गालियाँ दीं और धमकियाँ दीं। उसने आगे कहा कि उनकी चीख-पुकार सुनकर, वह अपनी पत्नी श्यामकली और पुत्रों, नामतः सरवन और नीरज के साथ, तत्काल घटनास्थल पर दौड़कर पहुँचा, जिस पर अभियुक्तगण ने कथित रूप से उन पर गोलीबारी की, जिससे उसकी पत्नी और पुत्रों को अग्निशस्त्र से चोटें आईं। साक्षी ने आगे बयान दिया कि उसकी पत्नी ने उपचार के दौरान घटना में लगी चोटों के कारण लगभग एक सप्ताह पश्चात् दम तोड़ दिया।

अपनी प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने घटनास्थल की स्थलाकृतिक विशेषताओं और भौगोलिक स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनका कारण उसने अपनी निरक्षरता को बताया। हालाँकि, उसने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव का जोरदार खंडन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गाँव की गुटबाजी के कारण झूठी दर्ज कराई गई थी या कथित घटना का किसी अन्य असंबंधित घटना से किसी भी प्रकार कोई संबंध था।

14. **अभियोजन साक्षी-2 सरवन**, एक घायल प्रत्यक्षदर्शी और परिवादी का पुत्र, ने बयान दिया कि घटना की तारीख को, लगभग 7:30 बजे अपराह्न, अपनी बहन सुशीला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

और पत्नी भानु द्वारा लगाई गई चीख-पुकार सुनकर, जो खेतों की ओर गई थीं, वह अन्य परिवार के सदस्यों के साथ टॉर्च लेकर घटनास्थल पर पहुँचा। उसने कहा कि अभियुक्त मुकेश, चंदन, पप्पू और सोनू उपस्थित थे और देशी तमंचों से लैस थे तथा ललकारे जाने पर, उन्होंने हत्या करने के आशय से अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसे, उसके भाई नीरज और उसकी माता श्यामकली को अग्निशस्त्र से चोटें आईं। साक्षी के अनुसार, उसकी माता ने बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान चोटों के कारण दम तोड़ दिया। उसने आगे कहा कि स्थानीय ग्रामीणों के आने पर अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए और विवेचना के दौरान उसका बयान दर्ज किया गया।

प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना में न तो उसकी पत्नी और न ही उसकी बहन को कोई चोट आई। उसने आगे कहा कि विवेचक लगभग डेढ़ माह पश्चात घटनास्थल पर आया और न तो उसकी उपस्थिति में रक्तरंजित मिट्टी एकत्र की और न ही खाली कारतूसों की बरामदगी के संबंध में उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटनास्थल पर केवल 10-20 व्यक्ति एकत्र हुए थे और उसे काफी समय बीत जाने के पश्चात् शासकीय क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

15. अभियोजन साक्षी-3, सुशीला, परिवादी की पुत्री, ने बयान दिया कि वह नटनी जाति से संबंधित है और अभियुक्त मुकेश की पहचान ब्राह्मण जाति से संबंधित के रूप में की। उसने कहा कि अपने बयान से लगभग ढाई वर्ष पूर्व, लगभग 7:30 बजे अपराहन, वह और उसकी भाभी राजेंद्र यादव के खेत के पास गई थीं, जहाँ अभियुक्तगण नामतः मुकेश, चंदन, पप्पू और सोनू ने कथित रूप से उनका रास्ता रोका और उनके साथ छेड़छाड़ की। शोर मचाने पर, उसकी माता श्यामकला, भाई और परिवार के अन्य सदस्य घटनास्थल पर पहुँचे, जिस पर अभियुक्तगण ने उसकी माता और भाई के साथ लाठियों से मारपीट की, जिससे उसकी माता को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया और लगभग आठ दिन पश्चात्

चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसने आगे कहा कि विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा उसका बयान दर्ज किया गया।

प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल अंधेरा था और झाड़ियों तथा सड़क के पास स्थित था, कि वह और उसकी भाभी वहाँ शौच करने के लिए गई थीं, और घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों के ठीक स्थान और स्थिति के संबंध में कुछ विसंगतियाँ थीं; हालाँकि, उसने कायम रखा कि अभियुक्तगण ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उसके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप उसकी माता को घातक चोटें आईं।

16. अभियोजन साक्षी-4, डॉ॰ पवन कुमार, डॉ. पवन कुमार, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उन्नाव, ने बयान दिया कि दिनांक 05.07.2004 को उसने घायल व्यक्तियों, नामतः श्यामकली, सरवन और नीरज का चिकित्सीय परीक्षण किया, जिन्हें थाना गंगाघाट से लाया गया था। साक्षी ने कहा कि सभी घायलों को ताजी चोटें आई थीं, जिनमें अग्निशस्त्र के छरों से खरोंचे और फाटे हुए घाव सम्मिलित थे, और उसने उनकी संबंधित चोट आख्या को प्रदर्श क-2, प्रदर्श क-3 और प्रदर्श क-4 के रूप में सिद्ध किया। उसने आगे राय व्यक्त की कि आग्नेयास्त्र की चोटें छरों के प्रक्षेपण से कारित हुई थीं और कालिमा अथवा गोदन के अभाव में, गोलियाँ काफी दूरी से चलाई गई प्रतीत होती थीं। साक्षी के अनुसार, चोटें लगभग छह घंटे पुरानी थीं और 05.07.2004 को लगभग 8:00 बजे अपराहन, अर्थात् घटना की तारीख को लगी हो सकती थीं।

17. अभियोजन साक्षी-5, नीरज, प्रत्यक्षदर्शी और घायल साक्षी, ने बयान दिया कि घटना की तारीख को, लगभग 8:00 बजे अपराहन, अपनी बहन सुशीला और भाभी अन्नू द्वारा लगाई गई चीख-पुकार सुनकर, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ टॉर्च लेकर घटनास्थल पर दौड़कर पहुँचा, जहाँ अभियुक्तगण, नामतः मुकेश तिवारी एवं

अन्य, देशी तमंचों से लैस होकर हत्या करने के आशय से गोलीबारी की, जिससे उसे, उसकी माता श्याम काली और उसके भाई सरवन को चोटें आईं। उसने आगे कहा कि उसकी माता ने बाद में हैलेट अस्पताल, कानपुर में उपचार के दौरान चोटों के कारण दम तोड़ दिया। प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने झूठा फँसाए जाने के सुझाव से इनकार किया, यद्यपि उसने स्वीकार किया कि वह प्रत्येक अभियुक्त की व्यक्तिगत भूमिका अथवा चलाई गई गोलियों की ठीक संख्या निर्दिष्ट नहीं कर सका, जबकि उसने यह कहा कि घटना के समय सभी अभियुक्त हथियारों से लैस, बिना नकाब के और पहचानने योग्य थे।

18. अभियोजन साक्षी-6, उ० नि० वाई० एन० शर्मा ने बयान दिया कि विवेचना के दौरान, विवेचक की उपस्थिति में घटनास्थल से 315 बोर की गोलियाँ और एक खाली कारतूस बरामद किया गया। उसने फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-5 तथा बरामद कारतूस को वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में सिद्ध किया। प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल से कोई अन्य छर्रे अथवा खाली कारतूस बरामद नहीं किए गए और यह कि उसकी उपस्थिति में रक्तरंजित तथा सादी मिट्टी एकत्र नहीं की गई, यद्यपि विवेचना के दौरान बाद में उन्हें कब्जे में ले लिया गया।

19. अभियोजन साक्षी-7, कांस्टेबल हरिश्चंद्र मिश्रा ने बयान दिया कि दिनांक 01.07.2004 को, थाना गंगाघाट में तैनात रहते हुए, उसने वर्तमान मामले में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की और तत्संबंधी सामान्य दैनिकी प्रविष्टि की, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श क-6 और प्रदर्श क-7 के रूप में सिद्ध किया गया। अपनी प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने कहा कि चिक रिपोर्ट अथवा जी.डी. प्रविष्टि में घोड़ों के खुरों के निशानों के संबंध में कोई उल्लेख दर्ज नहीं किया गया था और आगे कहा कि ऐसे विवरण का उल्लेख पूर्ववर्ती मज़रूबी प्रविष्टि में किया गया होगा।

20. अभियोजन साक्षी-8, डॉ० अरुण कुमार अग्रवाल ने बयान दिया कि दिनांक 14.07.2004 को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बिधनू, कानपुर नगर में तैनात रहते हुए, उसने मृतका श्यामकली, पत्नी रामबाबू, निवासी आजाद नगर, थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव, का शव-परीक्षण किया। उसने कहा कि शव को पुलिस कागजात के साथ सीलबंद अवस्था में लाया गया था और परीक्षण करने पर, उसने सिर के बाईं ओर सिला हुआ घाव, बाईं कनपटी की हड्डी में फ्रैक्चर, मस्तिष्क और उसकी झिल्लियों का विदारण तथा कपाल गुहा में रक्त का संचय पाया, जहाँ से एक धातु की गोली बरामद हुई। साक्षी के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व अग्निशस्त्र से लगी चोटों के परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव था। उसने शव-परीक्षण आख्या को प्रदर्श क-9 के रूप में सिद्ध किया। प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने कहा कि कथित समय के 24 घंटे के भीतर मृत्यु हो सकती थी और स्वीकार किया कि सिले हुए सिर के घाव के अतिरिक्त, मृतका के शरीर पर कोई अन्य छर्रे की चोट नहीं पाई गई।

21. अभियोजन साक्षी-9, कांस्टेबल श्याम सुशील ने बयान दिया कि वह उप पुलिस अधीक्षक श्री महानंद पांडे के अधीन तैनात था और उनके हस्तलेख एवं हस्ताक्षरों से भली-भाँति परिचित था। उसने कहा कि चूँकि श्री महानंद पांडे का ऑपरेशन हुआ था और वह विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ थे, इसलिए उसने मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2004 से संबंधित नक्शा-नजरी तथा आरोप-पत्र पर अंकित उनके हस्ताक्षरों की पहचान की और उन्हें सिद्ध किया, जिन्हें क्रमशः प्रदर्श क-9 और प्रदर्श क-10 के रूप में प्रदर्शित किया गया।

22. अभियोजन साक्षी-10, उ० नि० रतन सिंह ने बयान दिया कि दिनांक 14.07.2004 को, थाना स्वरूप नगर, कानपुर नगर में तैनात रहते हुए, हैलेट अस्पताल, कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के आधार पर, उसने मृतका श्यामकली, पत्नी रामबाबू, निवासी आजाद नगर, थाना गंगाघाट, के शव की पंचायतनामा कार्यवाही की। उसने कहा कि पंचायतनामा तैयार करने और घटनास्थल पर शव को सीलबंद करने के

पश्चात्, उसे शव-परीक्षण हेतु सौंप दिया गया। साक्षी ने पंचायतनामा को प्रदर्श क-11 के रूप में तथा संबंधित कागजात, जिनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, नमूना सील, फोटो लाश, चालान लाश और आर० आई० को पत्र सम्मिलित हैं, को क्रमशः प्रदर्श क-12 से प्रदर्श क-15 के रूप में भी सिद्ध किया।

23. अभियोजन के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात्, अपीलकर्ता /अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से इनकार किया और दावा किया कि उसे झूठा फँसाया गया है।

24. अभियोजन के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात्, अपीलकर्ता /अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से इनकार किया और दावा किया कि उसे झूठा फँसाया गया है।

25. प्रतिरक्षा साक्षी-1, उषा देवी, का बचाव पक्ष की ओर से परीक्षण किया गया, ने बयान दिया कि घटना की तारीख को, शौच से लौटते समय, उसने बाग के पास शोर सुना जहाँ भीड़ एकत्रित हुई थी और कुछ बदमाशों को घटनास्थल से भागते हुए देखा। उसने कहा कि घटना में कुछ महिलाओं को चोटें आई थीं; हालाँकि, उसने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों को घटना में भाग लेते हुए नहीं देखा। साक्षी ने आगे कहा कि रात में व्यक्तियों की पहचान करना संभव नहीं था और जब बदमाश भाग रहे थे, तब वह उन्हें केवल पीछे से देख सकी और उनकी पहचान करने में असमर्थ थी।

26. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात्, इस निर्णय के प्रस्तर संख्या 2 में दर्शाए गए अनुसार, अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया और दंडित किया।

27. उपरोक्त दोषसिद्धि और दंडादेश से क्षुब्ध होकर, अपीलकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत प्रश्नगत निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.2009, विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, उन्नाव द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 634 वर्ष 2004 में मुकदमा अपराध संख्या 305 वर्ष 2004 धारा 307/302 भादंसां और 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम, थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव में पारित किया गया, के विरुद्ध वर्तमान दांडिक अपील दाखिल की है।

पक्षकारों की ओर से तर्क

28. अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री प्रगति सिंह, ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षी- 1, परिवादी, घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। उक्त तर्क के समर्थन में, अभियोजन साक्षी- 1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिए गए बयान पर भरोसा किया गया है, जिसमें उसने स्वीकार किया कि गोली चलने की आवाज सुनने के 10-15 मिनट पश्चात् वह अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुँचा, जिससे उसकी गवाही सुनी-सुनाई बात की प्रकृति की हो जाती है।

29. यह आगे तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल इस आधार पर बचाव पक्ष के कथन को अस्वीकार करने में त्रुटि की कि वह स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन कथित रूप से आबादी वाले क्षेत्र में घटना घटित होने के बावजूद स्थानीयता से किसी निष्पक्ष साक्षी का परीक्षण करने में विफल रहा, जिससे अभियोजन के मामले की सत्यता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है।

30. यह भी तर्क दिया गया है कि कथित घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी एकत्र न किए जाने के कारण अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, विवेचक द्वारा ऐसे भौतिक साक्ष्य को एकत्र करने और सिद्ध करने में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

विफलता अभियोजन के कथन के साथ-साथ घटनास्थल के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न करती है।

31. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षी-4, डॉ. पवन कुमार ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा कि सरवन द्वारा धारित चोट संख्या 1 और 2 तथा नीरज द्वारा धारित चोट संख्या 1 कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित हो सकती थीं। हालाँकि, अभियोजन के किसी भी साक्षी ने यह आरोप नहीं लगाया कि अभियुक्तगण किसी कठोर या कुंद हथियार से लैस थे, जिससे प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच असंगति उत्पन्न होती है।

32. यह भी तर्क दिया गया है कि किसी भी अभियुक्त के पास से कोई अग्निशस्त्र या देशी तमंचा बरामद नहीं किया गया और कथित रूप से घटनास्थल से केवल एक गोली बरामद की गई। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ऐसी बरामदगी चार अभियुक्तों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने के अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करती और इस महत्वपूर्ण विसंगति का विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समुचित रूप से अवलोकन नहीं किया गया है।

33. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि अभियोजन ने चार अभियुक्तों की सहभागिता का आरोप लगाया, अभियोजन यह सिद्ध करने में विफल रहा कि किसके अग्निशस्त्र की गोली वास्तव में मृतका श्यामकली की मृत्यु का कारण बनी। यह प्रस्तुत किया गया कि घातक गोली के संबंध में विशिष्ट आरोपण के अभाव में, धारा 302 भादंसा के अंतर्गत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि विधिक रूप से असंभारणीय है।

34. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जब तक यह निर्णायक रूप से सिद्ध न हो जाए कि अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से चलाई गई अग्निशस्त्र की गोली से मृतका श्यामकली की मृत्यु हुई, तब तक केवल सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

को धारा 302 भादंसा के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था।

35. विद्वान अधिवक्ता ने एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अधीन दोषसिद्धि को भी इस तर्क के साथ चुनौती दी है कि सुशीला और उसकी भाभी अन्नू के कथनों के अलावा, यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा जाति-संबंधी गालियों का प्रयोग किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित शब्द सार्वजनिक दृष्टि में नहीं कहे गए थे और इसलिए एससी/एसटी अधिनियम के अधीन अपराध के आवश्यक तत्व आकर्षित नहीं होते हैं।

36. यह भी तर्क दिया गया कि जिस दूरी से आग्नेयास्त्र से चोट कारित की गई थी, उसके संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान है। जबकि अभियोजन साक्षी-1 ने कथन किया कि अभियुक्तगण लगभग 10-15 कदम की दूरी पर खड़े थे, अभियोजन साक्षी-4 ने यह राय व्यक्त की कि मृतका श्यामकली को लगी आग्नेयास्त्र की चोट लगभग तीन फीट की निकट दूरी से कारित की गई प्रतीत होती है, जिससे अभियोजन का कथन संदेहास्पद हो जाता है।

37. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि अभियोजन के मामले को उसकी संपूर्णता में स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तत्व संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मृत्यु कारित करने के लिए न तो पूर्वनियोजन था और न ही आशय था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अधिक से अधिक, अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के दायरे में आएगा।

38. यह भी तर्क दिया गया कि दोषसिद्धि अभिलिखित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित अपीलकर्ता के कथन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

39. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिरक्षा साक्षी के साक्ष्य को समुचित अभिमूल्यन के बिना खारिज कर दिया गया और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा साक्ष्य पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया ।
40. अंततः, यह भी आग्रह किया गया है कि अभियोजन के मामले का कोई स्वतंत्र संपुष्टिकरण नहीं है और अपीलकर्ता के कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं हैं, जो परिस्थिति अपीलकर्ता के पक्ष में विचार की जानी चाहिए थी।
41. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस०पी० सिंह ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपीलकर्ता ने सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप सूचनादाता की पत्नी को आग्नेयास्त्र से चोटें आईं और अंततः लगभग एक सप्ताह बाद उपचार के दौरान उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
42. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मात्र इस कारण से कि अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट हेतु आरोपित नहीं किया गया है, अभियोजन के मामले पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब घायल साक्षियों की चक्षुदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा विधिवत संपुष्ट है।
43. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मृतका को आई आग्नेयास्त्र की चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ता को सही रूप से दोषसिद्ध किया है, क्योंकि अंधाधुंध गोलीबारी का कृत्य अभियुक्तगण को आरोपित अपेक्षित ज्ञान और आशय को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

44. जहाँ तक अपीलकर्ता द्वारा भुगती गई निरुद्धि की अवधि का संबंध है, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता 21 वर्ष से अधिक अर्थात् लगभग 21 वर्ष और दस माह से अभिरक्षा में रहा है। हालाँकि, उन्होंने यह मामला इस न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया है और प्रस्तुत किया कि विधि के अनुसार तथा न्यायहित में कोई भी उचित आदेश पारित किया जा सकता है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

45. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, साक्ष्यों तथा साक्षियों के साक्ष्य का अवलोकन किया।

46. हम पाते हैं कि अभियोजन ने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए लगभग दस साक्षियों का परीक्षण किया है और समान संख्या में दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं। प्रथम दृष्टया, मामला पूर्णतः छह तथ्यात्मक साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है, जिनमें से दो डॉक्टर/चिकित्सा विशेषज्ञ (अभियोजन साक्षी-4 एवं अभियोजन साक्षी-8) हैं और चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-3 एवं अभियोजन साक्षी-5) हैं, जिनमें से दो घायल साक्षी हैं, नामतः अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-5।

47. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश पर व्यापक रूप से इस आधार पर आक्षेप किया है कि (i) तथ्य के साक्षियों की अपराध-स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि ये साक्षी संबंधित हैं (ii) स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति, (iii) रक्तरंजित का संग्रहण न किया जाना, (iv) आग्नेयास्त्र की बरामदगी न होना और (v) एक वैकल्पिक तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्थिति में यदि दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है तो किसी भी दशा में वही धारा 302 भादंसा के अधीन नहीं हो सकती क्योंकि हत्या करने का

कोई पूर्वनियोजित आशय नहीं था और अभियुक्त को धारा 304 भादंश के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है न कि धारा 302 भादंश के अधीन।

48. यह न्यायालय इन तर्कों में से प्रत्येक का क्रमशः निराकरण करना उचित समझता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संबंधित हैं; तथापि, हम पाते हैं कि इन चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से दो घायल साक्षी हैं, अर्थात् अभियोजन साक्षी-2(सरवन) और अभियोजन साक्षी-5(नीरज), जैसा कि अभियोजन साक्षी-4(डॉ० पवन कुमार) की साक्ष्य से स्पष्ट है, जिन्होंने इन साक्षियों की चोट आख्या को क-3 एवं क-4 के रूप में सिद्ध किया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन साक्षी-2 के शरीर पर लगभग तीन चोटें और अभियोजन साक्षी-5 के शरीर पर दो चोटें सूचीबद्ध की हैं और मत व्यक्त किया है कि ये आग्नेयास्त्र द्वारा कारित हैं और प्रकृति में ताजा हैं। प्रतिपरीक्षण में, अभियोजन साक्षी-4 ने यद्यपि यह सुझाव दिया कि अभियोजन साक्षी-2 की दो चोटें एवं अभियोजन साक्षी-5 की एक चोट किसी कुंद वस्तु द्वारा भी कारित की जा सकती हैं, किन्तु उन्होंने पुनः दोहराया कि अभियोजन साक्षी-2 की तीसरी चोट एवं अभियोजन साक्षी-5 की दूसरी चोट केवल आग्नेयास्त्र द्वारा ही कारित की गई थी। अतः इन साक्षियों द्वारा धारण की गई चोटों पर संदेह नहीं किया जा सकता है और उन्हें “घायल साक्षी” के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जहाँ तक घायल साक्षी की साक्ष्य का संबंध है, यह स्थापित विधि है कि पीड़ित या घायल का प्रत्यक्ष साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। स्पष्टतः, इस प्रकार के साक्षी अपराध-स्थल पर अपनी उपस्थिति की अंतर्निहित गारंटी के साथ आते हैं और किसी को झूठा फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर को बचाने की संभावना नहीं रखते हैं। अतः इस प्रकार के साक्षियों की साक्ष्य को ऐसे सामान्य प्रत्यक्षदर्शी से उच्चतर स्तर पर रखा जाता है जो घायल नहीं हैं। **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश, दर्ज (2011) 4 एससीसी 324** में; माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“27. घायल साक्षी के साक्ष्य को प्रमाणित साक्षी होने के कारण सम्यक महत्व दिया जाना चाहिए, अतः उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उसके कथन को सामान्यतः अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है और यह असंभाव्य है कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को बचाया हो। घायल साक्षी की साक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है क्योंकि उसे घटना के समय और स्थान पर चोटें आई हैं और यह उसकी साक्ष्य को समर्थन प्रदान करता है कि वह घटना के दौरान उपस्थित था। अतः घायल साक्षी की साक्ष्य को विधि में विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। साक्षी अपने वास्तविक हमलावर को केवल किसी तीसरे व्यक्ति को अपराध के कारित किए जाने के लिए झूठा फंसाने हेतु दण्ड से बचने देना पसंद या वांछित नहीं करेगा। अतः घायल साक्षी के साक्ष्य पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक उसमें प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने के आधार न हों। [देखें: जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एससीसी 719; बलराजे उर्फ त्रिंबक बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2010) 6 एससीसी 673; और अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एससीसी 259।]”

(प्रभाव वर्धित)

49. आगे, एक घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का किस प्रकार निराकरण किया जाना है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालू सुदाम खल्दे बनाम महाराष्ट्र राज्य, दर्ज (2023) 13 एससीसी 365 में निम्नलिखित विधिक सिद्धांतों को नोट किया, जिन्हें उक्त साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय किसी न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन सिद्धांतों को एतदपश्चात् निम्नानुसार परिगणित किया जा रहा है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

“26. जब किसी घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना हो, तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित विधिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है:

26.1. घटना के समय और स्थान पर घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की उपस्थिति पर तब तक संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बयान में महत्वपूर्ण विरोधाभास न हों।

26.2. जब तक साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित न किया जाए, यह विश्वास किया जाना चाहिए कि कोई घायल साक्षी वास्तविक अपराधियों को बच निकलने नहीं देगा और अभियुक्त को झूठा फंसाएगा नहीं।

26.3. घायल साक्षी के साक्ष्य का अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और जब तक प्रबल कारण विद्यमान न हों, उनके कथनों को सहजता से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

26.4. घायल साक्षी के साक्ष्य पर स्वाभाविक आचरण में कुछ अलंकरण या मामूली विरोधाभासों के कारण संदेह नहीं किया जा सकता है।

26.5. यदि किसी घायल साक्षी के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या सारहीन अलंकरण हो, तो ऐसे विरोधाभास, अतिशयोक्ति या अलंकरण को घायल के साक्ष्य से निकाल दिया जाना चाहिए, किन्तु संपूर्ण साक्ष्य को नहीं।

26.6. अभियोजन के कथन के व्यापक सारभूत आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए और समय बीतने के साथ स्मृति के क्षीण होने के कारण सामान्यतः उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को त्याग दिया जाना चाहिए।”

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

50. इन निर्णयों की कसौटी पर परीक्षण करते हुए, जब हम दोनों घायल प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अर्थात् अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-5 के मौखिक साक्ष्य को देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि दोनों साक्षियों ने निरंतर यह बयान दिया है कि वे अपनी मृतका-माता के साथ, सुशीला (अभियोजन साक्षी-3) और भानु (शिकायतकर्ता अभियोजन साक्षी-1 की पुत्रवधू) की चीखें सुनकर, टॉर्च लेकर घटना-स्थल पर गए, जहाँ उन्होंने अभियुक्त को चंदन, पप्पू और सोनू के साथ देशी तमंचों से लैस पाया। दोनों साक्षियों ने एक स्वर में बयान दिया है कि जब उन्होंने उन्हें ललकारा, तो इन लोगों ने गोली चला दी, जिससे उन्हें और उनकी माता को चोटें आईं, जिन्होंने बाद में उपचार के दौरान अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। इन साक्षियों ने अपने प्रतिपरीक्षण का सामना किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि घटना-स्थल पर अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-5 की उपस्थिति स्वाभाविक या असंभव नहीं थी। अतः हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं पाते हैं कि तथ्य के साक्षियों की अपराध-स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है क्योंकि ये साक्षी संबंधित हैं। आगे, यह समझा जाना चाहिए कि संबंधित और हितबद्ध साक्षियों के बीच स्पष्ट अंतर है। इस न्यायालय के अनुसार, अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-5 संबंधित हो सकते हैं लेकिन हितबद्ध साक्षी नहीं हैं। जहाँ तक किसी संबंधित व्यक्ति के साक्ष्यात्मक मूल्य का संबंध है, विधि स्थापित है कि किसी हत्या किए गए व्यक्ति के निकट संबंधी वास्तविक हमलावर को छोड़ने और हमलावर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए सर्वाधिक अनिच्छुक होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **खुशीद अहमद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य**, दर्ज (2018) 7 एससीसी 429 में, विधि के इस पहलू को निम्नलिखित शब्दों में उचित ठहराया है:

“31. विधि में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि संबंधियों को असत्य साक्षी माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का अभिकथन किया जाता है तो यह दर्शाने के लिए

कारण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठा फंसाने के कारण थे (देखें हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य)।”

51. अतः मात्र यह तथ्य कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी संबंधित साक्षी थे, उनकी साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक स्वतंत्र साक्षियों को प्रस्तुत न किए जाने का संबंध है, यदि किसी तथ्य को किसी प्रत्यक्षदर्शी के विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है, उस तथ्य के समर्थन में किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई विधि नहीं है कि किसी प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा उसकी पुष्टि न की जाए। पुष्टि सावधानी का नियम है और अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। यह भली-भांति स्थापित है कि यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है, तो उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यदि किसी प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य स्पष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय है, ऐसे साक्ष्य पर इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता कि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की गई है। साक्ष्य की मात्रा नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। गुलाम सरबर बनाम बिहार राज्य, 2014 (3) एससीसी 401 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“साक्षियों के साक्ष्य के अभिमूल्यन के मामले में, साक्षियों की संख्या नहीं बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, क्योंकि साक्ष्य विधि के अधीन किसी तथ्य को सिद्ध/असिद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट संख्या में साक्षियों की परीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं है। यह एक समय-सम्मानित सिद्धांत है कि परीक्षण यह है कि साक्ष्य में सत्यता की झलक है, सुसंगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या अन्यथा। विधिक प्रणाली ने साक्षियों की बहुलता या प्रचुरता के बजाय प्रत्येक साक्षी द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर जोर दिया है। यह गुणवत्ता है न कि मात्रा, जो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

साक्ष्य की पर्याप्तता निर्धारित करती है जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 द्वारा उपबंधित किया गया है। यहाँ तक कि प्रोबेट मामलों में भी, जहाँ विधि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी की परीक्षा की अपेक्षा करती है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिक साक्षियों को प्रस्तुत किए जाने का कोई महत्व नहीं है। अतः यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करती है, तो उसकी साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। (देखें: वडिवेलु थेवर एवं अन्य बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1957 एससी 614; कुंजू उर्फ बालचंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2008 एससी 1381; बिपिन कुमार मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 2010 एससी 3638; महेश एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2011) 9 एससीसी 626; पृथ्वीपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 1 एससीसी 10; और किशन चंद बनाम हरियाणा राज्य, जेटी 2013 (1) एससी 2221)।”

52. उपर्युक्त कथित तथ्यों और मामले की विधि से यह स्पष्ट है कि यदि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करती है, उसकी साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है। विधिक प्रणाली ने साक्षियों की बहुलता या प्रचुरता के बजाय प्रत्येक साक्षी द्वारा प्रदान किए गए मूल्य पर जोर दिया है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निराधार है कि दोषसिद्धि को इस आधार पर अपास्त किया जा सकता है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

53. जहाँ तक विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि घटना का समय रात्रि 8.00 बजे का होने और घटना-स्थल ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अभियुक्त व्यक्ति की पहचान करने के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं था, साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता की पहचान करने के लिए घटनास्थल पर पर्याप्त प्रकाश था। सभी साक्षियों ने लगातार यह कहा है कि वे अपराध-स्थल पर टॉर्च लेकर गए थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

आगे, अभियुक्त-अपीलकर्ता को घटना से पूर्व से ही साक्षी जानते थे। अतः अभियुक्त-अपीलकर्ता को साक्षियों द्वारा उसके रूप-रंग, आवाज, हाव-भाव, व्यक्तित्व के आधार पर, एक सह-ग्रामीण होने के नाते, आसानी से पहचाना जा सकता था। एक अन्य तथ्य यह है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज था, जो घटना के केवल 1 घंटे 15 मिनट के भीतर दाखिल की गई थी। शिकायतकर्ता और अभियुक्तगण के बीच कोई सिद्ध शत्रुता नहीं है। अतः अभियुक्त-अपीलकर्ता की पहचान के संबंध में कोई संदेह नहीं है।

54. जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का संबंध है कि रक्तरंजित मिट्टी और आग्नेयास्त्र की कोई बरामदगी नहीं हुई थी, यह देखा जा सकता है कि रक्तरंजित मिट्टी या मृदा की बरामदगी न किया जाना स्वतः ही अभियोजन वाद के लिए घातक नहीं है। न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि विवेचना अधिकारियों (आईओ) द्वारा की गई त्रुटियाँ दोषसिद्धि को ध्वस्त नहीं करती हैं यदि अन्य सारभूत साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को दृढ़तापूर्वक स्थापित करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने *मकबूल बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (एआईआर 2011 एससी 184)* के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि विवेचना अधिकारी द्वारा रक्तरंजित मिट्टी एकत्रित करने में विफलता से अभियोजन का संपूर्ण कथन नष्ट नहीं हो जाता यदि चिकित्सीय और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य विश्वसनीय हैं। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने विवेचना अधिकारी द्वारा अपराध-स्थल से रक्तरंजित मिट्टी एकत्रित न करने के कृत्य की निंदा की, किन्तु प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है। आगे, जहाँ तक आग्नेयास्त्र की बरामदगी न किए जाने का संबंध है, वह भी घातक नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने *राकेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 7 एससीसी*

188 के मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में निर्णय दिया:

“12. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए गए इस तर्क का संबंध है कि बैलिस्टिक आख्या के अनुसार मिली गोली बरामद अग्न्यस्त्र/बंदूक से मेल नहीं खाती है और इसलिए कथित रूप से बंदूक के उपयोग के संबंध में संदेह है और इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, उक्त स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त से पुलिस द्वारा बरामद बंदूक का उपयोग हत्या करने के लिए नहीं किया गया होगा और इसलिए हत्या करने में प्रयुक्त वास्तविक हथियार की बरामदगी को नजरअंदाज किया जा सकता है और इसे इस प्रकार माना जाना है मानो कोई बरामदगी हुई ही नहीं है। अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अपराध के कारित किए जाने में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी अनिवार्य शर्त नहीं है। अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घटना के विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं और उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि ए1-राकेश ने बंदूक से गोली चलाई और मृतक को चोट आई। बंदूक से लगी चोट चिकित्सीय साक्ष्य और अभियोजन साक्षी-5 डॉ. संतोष कुमार की साक्ष्य से स्थापित और सिद्ध हुई है। चोट संख्या 1 बंदूक की गोली से लगी है। अतः गोली चलाए जाने के प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2 के विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य को अस्वीकार करना संभव नहीं है। इसका अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2 की इस साक्ष्य की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि ए1 ने बंदूक से मृतक को गोली मारी, विशेष रूप से जब शरीर में गोली पाए जाने से इसकी पुष्टि होती है और अभियोजन साक्षी-2 एवं अभियोजन साक्षी-5 की साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि होती है। अतः मात्र इसलिए कि बैलिस्टिक आख्या दर्शाती है कि बरामद गोली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

बरामद बंदूक से मेल नहीं खाती है, अभियोजन साक्षी-1 एवं अभियोजन साक्षी-2 की विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य को अस्वीकार करना संभव नहीं है।”

55. अतः हमारे मन में यह स्पष्ट है कि सभी चार प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य, जिनमें से दो घायल साक्षी हैं, स्पष्ट और सुसंगत है। समस्त साक्ष्य पर विचार करते हुए यह स्थापित है कि ये चोटें अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा कारित की गई थीं। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि किसी साक्षी ने अपने कथन में कोई असत्य तथ्य कहा है, तो केवल यही तथ्य उसकी संपूर्ण साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह सुस्थापित है कि यदि किसी साक्षी को किसी बिंदु पर असत्य पाया जाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना है, बल्कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि सार को असार से अलग करे। ‘एक बात में झूठा, सभी बातों में झूठा’ का सिद्धांत भारत में लागू नहीं है। कोई साक्षी किसी पहलू में असत्य बोल सकता है प्रत्येक मामले में इसका मूल्यांकन किया जाना है कि किस सीमा तक साक्ष्य स्वीकृति के योग्य है। सभी आपराधिक मामलों में साक्षियों के अभिकथनों में सामान्य विसंगतियां सामान्य अवलोकन की त्रुटियों के कारण होना अवश्यभावी हैं अर्थात् समय बीतने के कारण स्मृति की त्रुटियां या घटना के समय आघात और भय जैसे मानसिक स्वभाव के कारण। हालांकि, मामूली विरोधाभासों, असंगतियों, तुच्छ मामलों पर अलंकरणों या सुधारों, जो अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, को ऐसा आधार नहीं बनाया जाना चाहिए जिस पर साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार किया जा सके। न्यायालय को साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में अपनी राय बनानी होती है और इस संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करना होता है कि क्या उसका अभिकथन न्यायालय का विश्वास उत्पन्न करता है। साक्षी के कथन में मात्र मामूली भिन्नताओं को सुधार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह साक्षी द्वारा पूर्व में दिए गए कथन का विस्तार हो सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

56. मृतका-श्रीमती श्याम काली की मृत्यु की मानवहत्या जन्य प्रकृति पोस्टमार्टम आख्या और अभिलेख पर लाए गए चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा निर्णायक रूप से सिद्ध होती है। विचारण न्यायालय ने सही रूप से निर्णीत किया है कि प्रत्यक्षदर्शी एवं घायल साक्षी का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है और अभियोजन वाद को सिद्ध करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से परे किसी और संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। हम भी तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए इस मत के हैं कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के प्रत्येक पहलू पर सूक्ष्मता से विचार किया है और प्रश्नगत निर्णय में कोई विकृति और अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है।

57. हालांकि, अगला विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और घायल व्यक्तियों द्वारा कारित चोटों की प्रकृति, भादसं की धारा 302 या धारा 304 के अधीन दंडनीय मामला बनाते हैं? हम पाते हैं कि यदि अभियोजन की कहानी को उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए और दोषसिद्धि आदेश को जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाए, तो यह स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलकर्ता ने बिना किसी पूर्व शत्रुता या पूर्वचिंतन के और एक छोटी सी कहासुनी पर सूचनाकर्ता के परिवार के सदस्यों पर गोली चलाई जो घातक सिद्ध हुई। उच्चतम न्यायालय ने **कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य के मामले में निम्नानुसार निर्णीत किया है: 1981 4 सुप्रीम कोर्ट केस 245:**

"3. जब मामला उच्च न्यायालय के समक्ष था तब जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि मामले की परिस्थितियों में धारा 300 का प्रस्तर 1 लागू नहीं होगा क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का मृतक की हत्या करने का आशय था। वास्तव में, यह स्वीकार किया गया। प्रायः यह सुझाव दिया जाता है कि मामला दण्ड संहिता, 1860 की धारा 300 के प्रस्तर 3 के अंतर्गत आएगा जिसमें न केवल अभियुक्त का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उस विशेष चोट को कारित करने का आशय था बल्कि कारित की जाने वाली चोट वस्तुनिष्ठ चिकित्सीय परीक्षण द्वारा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त पाई गई थी। प्रश्न यह है कि जिन परिस्थितियों में अपराध कारित हुआ, क्या कभी यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त का उस चोट को कारित करने का आशय था जो घातक सिद्ध हुई। दोहराने के लिए कहूँ, वहाँ कहासुनी हुई थी। कोई पूर्वचिंतन नहीं था। यह कुछ मारो और भागो जैसा था। ऐसे मामले में धारा 300 का प्रस्तर 3 लागू नहीं होगा क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का उस विशेष चोट को कारित करने का आशय था जो अंततः कारित की गई पाई गई। यहां विवेचित परिस्थितियों में, यह प्रतीत होगा कि अभियुक्त ने ऐसी चोट कारित की जिसके बारे में वह जानता था कि उससे मृत्यु कारित होने की संभावना है और तदनुसार मामला दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत आएगा।

4. तदनुसार हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के अधीन से धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित करते हैं और उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हैं।

58. इसी प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने **प्रभाकर विट्ठल घोलवे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2016) 12 एससीसी 490 : (2016) 4 एससीसी (क्रि) 74 : 2016 एससीसी ऑनलाइन एससी 437** के मामले में निम्नानुसार धारित किया है :

"7. उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन में सार प्रतीत होता है कि भादंसा की धारा 300 में अपवाद 1 या अपवाद 4 के दृष्टिगत अपीलकर्ता के विरुद्ध बनाया गया मामला हत्या न होने वाले आपराधिक

मानव वध का है। किशोर अपराधी बालू की चीखें सुनकर उसके परिवार के सदस्यों का उसकी सहायता के लिए दौड़ना स्वाभाविक होगा और जब अपीलकर्ता पर चोट भी सिद्ध हो गई है तो गंभीर और अचानक प्रकोपन की युक्तियुक्त संभावना का अनुमान करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। मृतक पर हमला, मृत्यु कारित करने के आशय के अभाव में, बिना पूर्वचिंतन के अचानक हुए संघर्ष, आवेश की उष्णता में और अचानक हुई कहासुनी के कारण हो सकता है। अतः, हम अपीलकर्ता की भादंसं की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करने और उसके स्थान पर भादंसं की धारा 304 भाग 1 के अधीन दोषसिद्धि करने के लिए सहमत हैं। अभिलेख पर उपलब्ध कारावास प्रमाणपत्र से प्रकट होता है कि अपीलकर्ता अब तक 12 वर्ष से अधिक का वास्तविक कारावास भुगत चुका है। उपर्युक्त अवधि, हमारे आकलन में न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। अतः आजीवन कारावास के दंडादेश को अपीलकर्ता द्वारा पहले ही भुगती गई अवधि के कारावास तक कम किया जाता है। दंडादेश में इस प्रकार के संशोधन के दृष्टिगत, अपीलकर्ता को तत्काल अभिरक्षा से रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है यदि उसे किसी अन्य आपराधिक मामले के संबंध में अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित न हो।”

59. उच्चतम न्यायालय ने लगभग समान परिस्थितियों में दंड की मात्रा का निर्धारण करते हुए, जिसमें मृतक के रिश्तेदारों की परीक्षा की गई और उनकी गवाही पर्याप्त पाई गई तथा ऐसी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की गई, सुदाम प्रभाकर अचट बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में; 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 602 में, निम्नानुसार निर्णीत किया है:

"4. सुश्री मतवांकर, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करती हैं कि अभियोजन केवल उन प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों पर निर्भर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

करता है जो मृतक के रिश्तेदार हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक के रिश्तेदार हितबद्ध साक्षी होने के कारण केवल उनकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि विधि में पोषणीय नहीं होगी। अतः उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि पोषणीय नहीं है और अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

5. सुश्री मतवांकर, वैकल्पिक रूप से, प्रस्तुत करती हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपराध भादसं की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा और अधिक से अधिक, यह भादसं की धारा 304 के भाग 1 या 2 के अंतर्गत आएगा।

9. इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी साक्षी मृतक से संबंधित हैं। वास्तव में, एक ओर मृतक और शिकायतकर्ता तथा दूसरी ओर अभियुक्तगण भी एक-दूसरे से निकटता से संबंधित हैं क्योंकि वे प्रथम चचेरे भाई हैं। हालांकि, यह विधि की स्थापित स्थिति है कि केवल इसलिए कि साक्षी मृतक के रिश्तेदार हैं और इस प्रकार हितबद्ध साक्षी हैं, मात्र यही उनकी गवाही को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकता। एकमात्र आवश्यकता यह है कि ऐसे साक्षियों की गवाही की अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए।

14. उस दृष्टिकोण से, हम पाते हैं कि वर्तमान मामला भादसं की धारा 302 के दायरे में नहीं आएगा और अपीलकर्ता भादसं की धारा 300 के अपवाद 4 के लाभ का हकदार होगा। यह भी उल्लेख किया जाना है कि अपीलकर्ता पहले ही 6 वर्ष 10 माह का दंड भुगत चुका है।”

60. उच्चतम न्यायालय ने **अंबझगन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2024) 20 एससीसी 500 : 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 857** के मामले में निम्नानुसार निर्णीत किया है :

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

"60. थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य (1984) 2 एससीसी 133 : 1984 एससीसी (क्रि) 164 : एआईआर 1984 एससी 759] में, अभियुक्त मृतक के घर के सामने खड़ा हुआ और कुछ ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध गंदी भाषा का प्रयोग किया जो मृतक से असंबद्ध थे। मृतक अपने घर से बाहर आया और अभियुक्त से कहा कि उसे महिलाओं के सामने अश्लील और गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा उसे चले जाने के लिए कहा। अभियुक्त ने मृतक से उसे स्थान छोड़ने के लिए कहने के उसके अधिकार पर प्रश्न उठाया। इसके फलस्वरूप हुई कहासुनी में, अभियुक्त ने चाकू से एक वार किया जो मृतक की (दाहिनी) छाती पर लगा जो घातक सिद्ध हुआ। इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त को धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था, किन्तु वह धारा 304 भाग 2 के अधीन दोषी था। इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय परिस्थितियां थीं:

(i) अभियुक्त और मृतक के बीच कोई संबंध नहीं था और घटना के समय मृतक की उपस्थिति पूर्णतः आकस्मिक थी;

(ii) मृतक के साथ कहासुनी अचानक हुई और अभियुक्त ने मृतक द्वारा उसे स्थान छोड़ने के लिए कहे जाने से क्रोधित होकर एक ही वार किया;

(iii) अभियुक्त को अपेक्षित आशय आरोपित नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि अभियुक्त का आशय वार को छाती के दाहिनी ओर लगाना था जो घातक सिद्ध हुआ।

61. चमरू बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1954) 2 एससीसी 132 : एआईआर 1954 एससी 652 में, कुछ हद तक समान परिस्थितियों में, जहां दोनों पक्षों के बीच गालियों का आदान-प्रदान हुआ था और दोनों लाठियों से लैस थे, उनके बीच मारपीट हुई और तत्पश्चात हुए संघर्ष के

दौरान, अभियुक्त ने मृतक के सिर पर लाठी से वार किया जिससे खोपड़ी में अस्थिभंग हुआ परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अभियुक्त ने आवेश के क्षण में केवल एक वार किया था, यह निर्णीत किया गया कि इतना ही कहा जा सकता था कि उसने इस ज्ञान के साथ वार किया था कि इससे मृत्यु कारित होने की संभावना है और, इसलिए, अपराध भा.दं.सं. की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत आता है। विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य [विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1955) 2 एससीसी 340 : एआईआर 1956 एससी 116] में, यहां की भांति, गालियों के आदान-प्रदान को लेकर अचानक कहासुनी हुई और आवेश के क्षण में हॉकी-स्टिक से सिर पर एकमात्र वार किया गया था। न्यायालय ने निर्णीत किया कि अपराध हत्या न होने वाला आपराधिक मानव वध था धारा 304 भाग II के अधीन दंडनीय था।

62. कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य, (1981) 4 एससीसी 245 : 1981 एससीसी (क्रि) 826 में, अभियुक्त ने बिना किसी पूर्व शत्रुता या पूर्वचिंतन के, एक छोटी सी कहासुनी पर खंजर से एक ही वार किया जो बाद में घातक सिद्ध हुआ। इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि कोई पूर्वचिंतन नहीं था, इसलिए धारा 300 भादं.सं. का भाग 3 लागू नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का उस विशेष चोट को कारित करने का आशय था जो अंततः कारित की गई पाई गई। उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियुक्त की दोषसिद्धि को धारा 302 से भादं.सं. की धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित कर दिया गया और अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया।

63. जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एससीसी 342 : 1983 एससीसी (क्रि) 459 में, अभियुक्त ने अचानक आवेश में मृतक की छाती पर चाकू से वार किया। चोट घातक सिद्ध हुई। चिकित्सक ने राय दी कि चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस न्यायालय ने कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 344, प्रस्तर 8)

“8. ... झगड़ा तुच्छ प्रकृति का था और ऐसी तुच्छ कहासुनी में भी अपीलकर्ता ने चाकू जैसे हथियार का प्रयोग किया और छाती पर एक वार किया। इन परिस्थितियों में, यह अनुमेय निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता को कम-से-कम इस ज्ञान का आरोपण किया जा सकता है कि वह ऐसी चोट कारित करने की संभावना रखता था जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना थी।”

(प्रभाव वर्धित)

इस न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भादंस की धारा 302 से भादंस की धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित किया और अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया।”

61. उपरोक्त सिद्धांतों की कसौटी और परीक्षण-पाषाण पर परखे जाने पर, वर्तमान मामले में यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध मूल आरोप छेड़छाड़ करने और जाति-संबंधी टिप्पणियां करने का है और चीखें सुनकर, मृतक तथा अन्य परिवार के सदस्य घटनास्थल पर दौड़े, जिसमें मृतक को घातक अग्निशस्त्र चोटें आईं। विशेष रूप से, प्रारंभ में अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरुद्ध भादंस की धारा 307 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वर्तमान तथ्य और परिस्थितियां यह इंगित नहीं करती हैं कि अभियुक्त-अपीलकर्ता घायल व्यक्तियों की हत्या करने पर तुला हुआ था या मृतक की हत्या करने के पूर्वचिंतित मन से आया था। भादंस की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

लिए, आपराधिक मनोभाव या आशय को आपराधिक कृत्य या वास्तविक कृत्य की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। कृत्य पीड़ित की हत्या करने के विशिष्ट आशय या इच्छा को अग्रसर करने वाला होना चाहिए। प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, जिस प्रकार उसका प्रयोग किया गया, अपराध का हेतु, वार की गंभीरता, शरीर का वह भाग जहां चोट कारित की गई है, आशय का निर्धारण करने के लिए विचार किए जाने वाले प्रासंगिक तथ्य हैं। मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, भादंस की धारा 302 के अधीन कोई मामला नहीं बनता है और इस प्रकार, अभियुक्त-अपीलकर्ता को भादंस की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा, बल्कि अभियुक्त-अपीलकर्ता का कृत्य भादंस की धारा 304 भाग-2 के दायरे में आता है। अतः, अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को भादंस की धारा 302 से धारा 304 भाग 2 के अधीन परिवर्तित किया जाना उचित है।

62. उपर्युक्त विवेचित के दृष्टिगत, अतः हम दोषसिद्धि आदेश को कायम रखते हुए इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। परिणामतः हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

i. भादंस की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-2 में परिवर्तित किया जाता है;

ii. अपीलकर्ता को पहले ही भुगती गई अवधि के दंड से दंडित किया जाता है;

iii. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है;

iv. अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

63. विचारण न्यायालय का अभिलेख, इस निर्णय और आदेश की प्रति सहित, अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

64. सभी लंबित आवेदन(आवेदनों) का तदनुसार **निस्तारण** किया जाता है।

65. अपीलकर्ता को तत्काल अभिरक्षा से रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य आपराधिक मामले में वांछित न हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क के प्रावधान के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने पर, जिसमें इस आशय का वचनबंध हो कि यदि इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल की जाती है और माननीय उच्चतम न्यायालय अपील की सूचना जारी करता है तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी)

(न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

05 जून, 2026

ओम